

## असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गुवाहाटी



### अस्थायी परीक्षा-केंद्र का आवेदन-पत्र

**सूचना :** केंद्र संबंधी नियमों के (जो पृष्ठभाग पर दिये गये हैं) अनुसार यह आवेदन पत्र भेजना चाहिए

1. केंद्र का नाम				
2. i) प्रचारक का नाम :	प्रचारक क्रम संख्या		नवीकरण सन्	
ii) सहायक प्रचारक का नाम :	प्रचारक क्रम संख्या		नवीकरण सन्	
3. किस सन् के लिए				
4. परीक्षाओं में शामिल होनेवाले विद्यार्थियों की संख्या	परिचय	प्रथमा	प्रवेशिका	प्रबोध
5. नजदीक के दो पूर्व-स्वीकृत केंद्र के नाम व दूरी (उन केंद्र के केंद्रव्यवस्थापकों से आपत्ति विहीन प्रमाण-पत्र (No Objection Certificate) संलग्न करना अनिवार्य होगा)	1.			
	2.			
6. केंद्र की परीक्षाएँ किस विद्यालय में चलाने की व्यवस्था की जाएगी उसका पूरा पता लिखें :	विद्यालय-		वाया-	
	डाक-		जिला-	
	तार घर-		फोन नं.-	
	पिन-			
7. नियमानुसार परीक्षार्थी की संख्या कम होने से परीक्षा न चलाने पर परीक्षार्थियों को बैठाने के लिए नजदीकी दो केंद्रों के नाम	1.			
	2.			
8. केंद्र व्यवस्थापक का पूरा नाम व पता	नाम-			
	पद-			
	पूरा पता-			
	व्हाट्स एप-		मो. नं.	
9. विद्यालय/महाविद्यालय सरकारी/प्रादेशिकृत कब हुए ? (प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें)।				
10. विद्यालय/महाविद्यालय में कौन सा परीक्षा केंद्र है, कृपया ✓ लगाए i) दसवीं (मैट्रिक) ii) बारहवीं (हायर सेकण्डरी) iii) स्नातक (बी.ए.)				

विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधान अध्यापक/अध्यक्ष की सिफारिश-

বিদ্যালয়/মহাবিদ্যালয়ৰ প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষৰ সন্মতি পত্ৰ

आवेदन में लिखित विवरण सत्य है। मेरे विद्यालय/महाविद्यालय में केंद्र की स्वीकृति देने पर

आवेदनत উল্লেখিত বিবরণ সত্য। মোৰ বিদ্যালয়/মহাবিদ্যালয়ত কেন্দ্ৰৰ স্বীকৃতি পালে

परीक्षा संचालन का दायित्व मैं पालन करुंगा/करुंगी तथा सारी जिम्मेवारी मेरी होगी।

মই পরীক্ষা পরিচালনা সম্পর্কীয় সকলো দায়িত্ব পালন কৰিম।

प्रचारक का हस्ताक्षर

मोबाइल नं.

व्हाट्स एप नं.

तारीख-

हस्ताक्षर, प्रधान अध्यापक/अध्यक्ष

চহী-প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ

मोबाइल नं. :

व्हाट्स एप :

विद्यालय/महाविद्यालय की मुहर

বিদ্যালয়/মহাবিদ্যালয়ৰ মোহৰ

ताबिख -

## केंद्र संबंधी नियम

1. समिति के प्राथमिक और उच्च परीक्षाओं के निश्चित स्थायी केंद्र हैं।
2. (क) इन केंद्र के अलावा जिस स्थान में कम से कम पचहत्तर विद्यार्थी इन परीक्षाओं में शामिल होंगे और जो स्थान किसी स्वीकृत केंद्र से कम से कम छह किलोमीटर दूर होगा, वहाँ अस्थायी केंद्र दिया जा सकेगा।  
(अस्थायी केंद्र का मतलब है परिचय से प्रवेशिका तक की परीक्षाएँ अनुष्ठित करना)  
  
(ख) सभी प्रकार के केंद्र के लिए केंद्र संचालन कॉमेटी गठन करना अनिवार्य है। परीक्षा संचालन कॉमेटी गठन न करने पर केंद्र की स्वीकृति किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी।
3. अस्थायी केंद्र के नियत आवेदन-पत्र ठीक-ठीक भरकर परीक्षा तारीख से कम से कम तीन महीने पहले प्रधान अध्यापक/अध्यक्ष के जरिए भेजना चाहिए।
4. परीक्षाएँ स्थानीय सरकारी स्वीकृति प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालय/महाविद्यालय में **सिर्फ उसी विद्यालय के प्रधान अध्यापक/अध्यक्ष के व्यवस्थापकत्व** में चलाने की व्यवस्था होनी होगी। हिन्दी अध्यापक या प्रचारक किसी भी हालत में केंद्र व्यवस्थापक नहीं रह सकते।
5. केंद्र स्वीकृत होने पर उसकी सूचना दी जाएगी। उस सूचना के अनुसार प्रधान अध्यापक/अध्यक्ष और प्रचारक उचित व्यवस्था करेंगे।
6. किसी स्थान में एकबार अस्थायी केंद्र स्वीकृत करने का मतलब है कि उसी बार की परीक्षा के लिए ही वहाँ केंद्र होगा। आगे उसी स्थान में केंद्र की आवश्यकता होने पर ऊपर की धारा 3 के अनुसार हरबार नवीकरण के लिए आवेदन पत्र भेजना होगा।
7. केंद्र देने या न देने के संबंध में परीक्षा सचिव का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा।
8. परीक्षार्थियों के सशुल्क आवेदन पत्र केंद्र व्यवस्थापक के जरिए एक ही बार में जमा करना जरूरी होगा।

कार्यालय की कार्रवाई

परीक्षा सचिव